e mail

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग।

पत्र संख्या–वा0क0रा0गो0अभ्यु0–30–01/2015– 248 /रॉची, दिनांक– 20/11/16

प्रेषक,

निधि खरे,
सचिव–सह–आयुक्त।

सेवा में,

सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (अपील)
सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त, वैट अंकेक्षण इकाई
सभी अंचल प्रभारी।

विषय :– वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति अभिलेखन के संबंध में।

महोदय/ महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि कुछेक पदाधिकारियों द्वारा अपने सेवानिवृत्ति के काफी समय बाद अपने अधीनस्थ अंचल/ प्रमण्डलों के पदाधिकारियों/ कर्मचारियों की गोपनीय अभ्युक्ति अभिलिखित किया जाता है, जिससे विभाग को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

विभाग को प्राप्त श्री कौशल कुमार, वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त के देवघर अंचल, देवघर पदस्थापन अवधि 2013–14 एवं 2014–15 हेतु अभिलिखित वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिवेदक पदाधिकारी द्वारा ससमय अभ्युक्ति अंकित किया गया है जबकि समीक्षी पदाधिकारी श्री पौलुस धान, तत्कालीन वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्र0), संथालपरगना प्रमण्डल, दुमका द्वारा अपने सेवानिवृत्ति दिनांक 28.02.15 के काफी बाद दिनांक 13.04.2015 को अपना अभ्युक्ति अंकित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 7444 दिनांक 30.04.79 की कंडिका–37 के अनुसार **"कोई भी पदाधिकारी सेवा निवृत्ति के पश्चात अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के कार्यों पर अभ्युक्तियां अंकित करने के अधिकारी नहीं होंगे और न उनसे अभ्युक्तियां लिखने के लिए ही आग्रह किया जाए।"**

अतः निदेश दिया जाता है कि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/ कर्मचारियों की गोपनीय अभ्युक्ति ससमय समर्पित/अभिलेखन करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

20/11/16.

सचिव–सह–आयुक्त।